

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, अरेराज

पंजाब- का०३१०-अरेराज-M / ९८२

/ दिनांक ३०.५.२०२१

प्रेषक

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल अरेशज.

सोया में

संवेदक

କଷ୍ଟବ୍ୟନ ଲାଦୁ.

विषय :- MMGSY(SC) योजनानामगति T-35C & 2N0 उपर्यादन
पथ का अनुरक्षण कार्य के संबंध में।

प्रसंग:- SBD(PMGSY/MMGSY) कडिका-52/3 तथा MBD के कडिका-58 तथा 59

भारतीय

उपर्युक्त विधयक प्रासादिक पत्र के संबंध में कहना है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, अरराज अन्तर्गत आपको आविष्ट पथ/पूल ट्रॉफी एवं नं. 2 नं. इनिपार्ट

कार्य तीन दिनों के अन्दर हर हाल में शुरू करना सुनिश्चित करेंगे इस संदर्भ में पूर्व में भी गौचिक एवं दुरभाष पर अनुरक्षण कार्य समाप्त करने हेतु निदेश दिया जाता रहा परन्तु आपके हारा वार्षिक अनुरक्षण कार्य में गम्भीरता नहीं दिखाई गई। आपके स्वेच्छाचारिता के कारण सरकार हारा प्रदत्त राशि उपलब्ध कराने के बादजुद भी आम अवाम को कष्ट उठाना पर रहा है।

अतः तीन दिनों के अन्दर अनुरक्षण कार्य शुरू कराते हुए आप अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताकारी के समक्ष उपरथापित करेंगे की अनेकों बार गौखिक एवं दुरभाष पर निदेश के वाचनुद अब तक अनुरक्षण कार्य क्यों न किया गया। इस संबंध में स्पष्टीकरण अप्राप्त या अस्वीकार्यता की स्थिति में आपके एकरानामा का विखिडित करते हुए आपके निवंधन को डिवार/काली सुची में डालने की कार्रवाई की जाएगी एवं आपके जमानत की राशी जब्त कर अनुरक्षण कार्य कराया जायेगा।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग

वाय प्रगडल-अरेराज।
दिनांक ३०.५.२०

ज्ञापाक १७२

प्रतिलिपि—सभी सहायक अधियंता/कनीय अधियंता को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ପାତ୍ର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଲା